राजस्व 33 4–2000–10 लाख फा. APP Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) मुकाम बांदीकुई

प्रभवंतसिंह बनाम मनभरी

किस्म मुकदमा अपील नामान्तकरण नं0 10 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/3/18	पत्रावली पेश हुई। अपील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली दिनांक 19-3-18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
20/3/18	पत्रावली दिनांक 19-3-18 को अवकाश होने पर आज पेश हुई। अपील - अपीलान्ट का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है :- 1- यह कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत कोलाना तह० बसवा के नामान्तकरण सं० 265 दिनांक 5-6-2014 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम नारायणपुरा का रहने वाला है तथा आराजी अपीलान्ट व उसके भाई की ग्राम नारायणपुरा में स्थित है। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 10/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलान्ट के भाई मदन गोपाल का विवाह 1974 में रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 से हुआ था। रेस्पोंडेन्ट नं0 1 मनभरी शादी के बाद कभी बतौर पत्नि मेरे भाई के साथ नही रही न ही गोना हुआ न वह कभी ससुराल मे आई। मदनगोपाल की 4-5 वर्ष की बिमारी के बाद दिनांक 7-12-1996 को स्वर्गवास हो गया। मदनगोपाल के स्वर्गवास होने के पश्चात रेस्पोंडेन्ट नं0 1 ने नामान्तकरण खोलने हेतु तहसीलदार बसवा को प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे तहसीलदार बसवा ने दिनांक 9-3-99 मे सक्षम न्यायालय से वारिसान तय नही हो जाते तब तक नामान्तकरण तय करने हेतु दर्ज न करने के आदेश दिये गये।	
2-	यह कि तहसीलदार बसवा के आदेश दिनांक 28-11-99 की अपील उपखण्ड अधिकारी महोदय बांदीकुई के न्यायालय मे 19/2000 दर्ज कराई गई। परन्तु अपीलान्ट द्वारा पैरवी नही करने पर दिनांक 6-8-2003 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज हो गयी। इसके पश्चात कोई कार्यवाही मनभरी द्वारा नही की तथा वर्ष 2014 मे पुन: सरपंच ग्राम द्वारा बिना कार्यवाही रजिस्टर मे अंकन किये दिनांक 5-6-2014	

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील नं० 10/2016	
	परसादी बनाम मनभरी वगैरा	

को नामा० सं० 265 खोल दिया गया। तथा अपीलान्ट को कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया। अन्त में अपील-अपीलान्ट स्वीकार कर नामा० सं० 265 दि० 5-6-14 को निरस्त करने की अपील की।

3- यह कि अपील अपीलान्ट मंजूर होने पर रेस्पोडेन्ट को अपील दर्ज कर तलब किया। रेस्पोडेन्ट नं० 1 की ओर से दिनांक 12-12-17 को आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में अंकित किया कि रेस्पो० नं० 1 की शादी मदन गोपाल से वर्ष 1974 में हुई थी तथा वह ही एक मात्र वारिस है। अपीलान्ट का यह आक्षेप की वह पति के साथ नहीं रही व बतौर पत्नि पति के साथ रही थी तथा एक पुत्री को भी वर्ष 1985 जन्म दिया था परन्तु वह जीवित नहीं रही तथा तीन माह बाद मृत्यु हो गयी। पति की मृत्यु के बाद वह कभी ससुराल व कभी पीहर रहकर जीवन यापन कर रही है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी आपत्ति में यह भी अंकित किया है कि उसके पति द्वारा कोई वसीयत या इकरारनामा नहीं किया है, यदि को है तो गलत एवं मनगन्त है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 10/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्त मे रेस्पोंडेन्ट ने अपनी आपत्ति मे भोमा० सं० 265 दि० 5-6-45 को सही होना व उ०प्र० द्वारा किये गये निर्णय को सही व विधिक तौर पर वारिस मानते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की इस्तदुआ की।	
4-	यह कि अपील अपीलान्ट आपत्ति प्रस्तुत होने के पश्चात विधिक सुनवाई करते हुए साक्ष्य सबूत अवसर प्रदान कर बहस उभय पक्ष के वकील सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का कथन है कि नामान्तकरण पर तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 9-3-99 को सक्षम न्यायालय से वारिसान घोषित करा कर नामान्तकरण खोलने हेतु आदेश पारित किये गये थे रेस्पोंडेन्ट द्वारा किसी भी न्यायालय से वारिस घोषित नहीं कराया जाकर नामान्तकरण गलत खोला गया है जिसे खारिज करने की बहस की। वकील रेस्पोंडेन्ट ने आपत्ति को दोहराते हुए। भगवती को ही वारिस मानकर उ०प्र० द्वारा नामान्तकरण खोला गया है जो भगवती मदनगोपाल की पत्नि है। भगवती के अलावा कोई वारिस मदनगोपाल का नहीं थी, ऐसे मे अपील अपीलान्ट खारिज	

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

रा.मु.अ.33 4–2000–10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

मुकाम बांदीकुई

किस्म मुकदमा (मृ) धन्नासिंह बनाम मनभरी वगै0
अपील न0 नं0 10 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने की बहस की। हमने उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व रेस्पोन्डेन्ट की आपत्ति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात वाद सुनवाई नामान्तकरण सं0 265 दिनांक 5-6-14 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बसवा को अपील रिमाण्ड का आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्षों को विधिवत पर्याप्त साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही की जावे। आदेश आज दिनांक 20-3-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी हो पत्रावली बाद पूर्ति जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	